>

Title: Need to relax the 'Yield component' criteria for opium growers of Madhya Pradesh.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में जहां अफीम की काश्त बहुतायत में होती है, विगत् दिनों असामयिक वर्षा होने तथा साथ ही तेज आंधी चलने के कारण अफीम की गाढ़ता में जो 55 डिग्री अपेक्षित है, उसमें स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप के कारण कमी आई है। जिसके बारे में सैकड़ों अफीम काश्तकारों द्वारा अफीम तोल केन्द्रों पर अपनी आपति दर्ज कराई गई है। सभी अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम उत्पादन का जो न्यूनतम मापदंड है उससे कहीं अधिक दिया गया है जो औसतन 60 से 62 किलोग्राम तक रहा है।

किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में अफीम काश्तकारों को आशंका है कि उनके लाइसेंसों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व में भी विगत 2 वर्षों में इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसमें शिथिलता भी दी गई थी।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस वर्ष भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कहीं-कहीं स्थिति का आकलन भी किया गया है, इसमें शिथिलता दिए जाने को उचित माना है, अत: अफीम काश्तकारों से ली जाने वाली अफीम की गाढ़ता में शिथिलता दिए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि अफीम काश्तकार अप्रत्याशित हानि से बच सकें।

MADAM CHAIRMAN: Shri Chandramani Tripathi -- Not Present